न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़बास जिला (खैरथल–तिजारा)

अध्याशितः– श्री मनीष कुमार जाटव आर0ए0एस

दावा सं0	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
184/21	29.11.2021	10-3-25

उनवान

1. कासम पुत्र रहमान
2. सहीद पुत्र रहमान जाति मेव निवासी बाघोडा तहसील किशनगढबास जिला अलवर।

:–वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लैण्ड होल्डर, किशनगढबास जिला अलवर राज0।

:–प्रतिवादी

दावा इस्तकरारहक, इन्द्राज दुरूस्ती जेर दफा 88,89 राज0काश्त0अधि0 1955

उपस्थितिः– वादीगण की ओर से श्री किशोरीलाल जी वकील।
प्रतिवादी की ओर से मौका रिपोर्ट।

निर्णय

दावे के सुक्ष्म वृतांत निम्न प्रकार से है:–

साबिक खसरा नं0 524 मिन रकबा 0–01 बिस्वा, 525 मिन रकबा 2–07 बिस्वा जिनको मिलाकर हाल खसरा नं0 768 रकबा 0.6100हे0 वाके ग्राम बृसंगपुर तहसील किशनगढबास जिला अलवर पैमूद हुये। जो आराजी प्रस्तुत वाद में विवादित आराजी कहलावेगी।

खसरा नं0 768 रकबा 0.6100हे0 वाके ग्राम बृसंगपुर तहसील किशनगढबास किशोरी पुत्र पल्टू जाति ब्राहमण नि0 बृसंगपुर की व उसके बुजुर्गान की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी थी, जिसकी मृत्यु के बाद उसके विधिक वारिसान हरप्यारी बेवा किशोरीलाल, अमृतलाल पुत्र किशोरीलाल, ओमीलाल पुत्र किशोरीलाल जाति ब्राहमण निवासी बृसंगपुर हाल डोलखेडा तहसील कामा जिला भरतपुर राज0 व ओमवती पुत्री किशोरीलाल, चन्द्रादेवी पुत्री किशोरीलाल, बिमला पुत्री किशोरीलाल, पांची पुत्री किशोरीलाल, रामश्री पुत्री किशोरीलाल, लख्मीराम पुत्र पल्टू सभी वारिसान ने विवादित आराजी को बेचान जरिये रजि0 बयनामा हम वादीगण को कर दिया। जिस आराजी हम वादी वादीगण की जरिये बयनामा खरीदशुदा आराजी है जिस बयनामा के आधार पर हमारे नाम राजस्व रिकार्ड में अमल व दरामद हो गया है।

विवादित आराजी पर हम वादीगण वक्त खरीद से शान्तिपूर्वक काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। राजस्व रिकार्ड में हम वादीगण के नाम का अंकन राजस्व रिकार्ड में हो रहा है। लेकिन राजस्व रिकार्ड में गलत रूप से अब भी किशोरी पुत्र पल्टू जाति ब्राहमण सा0देह का शिकमी साल 6 का गलत अंकन हो रहा है। जो सरीहन गलत खिलाफ मौका व खिलाफ कानून है।

विवादित आराजी पर हम वादीगण की किशोरी के विधिक व कानूनी वारिसान से जरिये रजि0 बयनामा खरीदशुदा आराजी है तथा राजस्व रिकार्ड में हम वादीगण के नाम खातेदार दर्ज है लेकिन राजस्व रिकार्ड में गलत रूप से बकाश्त किशोरी पुत्र पल्टू ब्राहमण सा0देह शिकमी साल 6 का गलत रूप से अंकन हो रहा है। इसलिए राजस्व रिकार्ड से

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़बास (खैरथल–तिजारा)

दो श म

किशोरी पुत्र पल्टू ब्राहमण सा0देह का अंकन बकाश्त व शिकमी हजफ कर हटाया जावे, जिसके लिये दावा हाजा दायर करना लाजिम आया है।

किशोरी पुत्र पल्टू ब्राहमण सा0देह का विवादित आराजी से अब कोई किसी प्रकार का लेना देना संबंध वो सरोकार नहीं है लेकिन राजस्व रिकार्ड में किशोरी पुत्र पल्टू ब्राहमण सा0देह शिकमी साल 6 दर्ज होने के कारण हम वादीगण को काफी परेशानियों का सामना करना पड रहा है। जबकि किशोरी पुत्र पल्टू का अब विवादित आराजी से कोई किसी प्रकार का लेना देना संबंध वो सरोकार नहीं है इसलिए राजस्व रिकार्ड से किशोरी पुत्र पल्टू ब्राहमण सा0देह शिकमी साल 6 का अंकन को हजफ कर हटाया जावे, जिसके लिये दावा इस्तकरारहक मय इन्द्राज दुरूस्ती करना लाजिम आया है।

अतः प्रार्थना है कि वाद वादी बर खिलाफ प्रतिवादी निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावेः–

अ– डिक्री इस्तकरारहक वो इन्द्राज दुरूस्ती इस अमर की पारित की जावे कि आराजी खसरा संख्या 768 रकबा 0.6100हे0 वाके ग्राम बृसंगपुर तहसील किशनगढबास जिला अलवर के राजस्व रिकार्ड में जो गलत इन्द्राज बकाश्त किशोरी पुत्र पल्टू ब्राहमण सा0देह शिकमी साल 6 के तौर पर हो रहा है उसे हजफ कर हटाया जावे तथा वादीगण का नाम बतौर खातेदार दर्ज किया जावे।

ब– खर्चा मुकदमा वादीगण को प्रतिवादी से दिलाया जावे।

स– दीगर दादरसी जो नजदीक अदालत मुनासिब हो बहक वादीगण बख्सी जावे।

दावा प्रस्तुत होने पर दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जर्ये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी ने स्वयं उपस्थित होकर जवाब दावा पेश किया कि राज्य का हित निहित नही है। वादी वाद स्वयं सिद्ध करें। जवाब पेश होने पर वादी ने बतौर साक्ष्य शपथ पत्र पीडब्लू–1 स्वयं कासम का शपथ पत्र, पीडब्लू–2 मुहरखां पुत्र अलीखान, पीडब्लू–3 नूरदीन पुत्र छोटना, पीडब्लू–4 सहीद पुत्र रहमान के शपथ पत्र अपनी साक्ष्य कलबद्ध कराई एवं वादी द्वारा पेश दस्तावेजात का प्रदर्श कराये गये। तथा विवादित आराजी ख0न0 768 रकबा 0.6100हे0 वाके ग्राम बृसंगपुर की बाबत तहसीलदार किशनगढबास से कब्जा काश्त हेतु मौका रिपोर्ट तलब की गई मौका रिपोर्ट अनुसार विवादित आराजी पर वादीगण की कब्जा काश्त होना बताया गया है। पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई

वकील वादी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया। बहस पर मनन किया। पत्रावली में संलग्न राजस्व रिकार्ड जमाबंदी हाल सवंत 2074–77 के अनुसार वादीगण विवादित आराजी ख0न0 768 रकबा 0.6100 हे0 वाके ग्राम बृसंगपुर तहसील किशनगढबास को जर्ये रजिस्टर्ड बयनामा से खरीद किया है और खरीद का अमल भी वादीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में अंकन हो रहा है बयनामा के अनुसार विवादित आराजी पर जो अंकन बकाशत किशोरी पुत्र पल्टू ब्रा0सा0देह शिकमी साल 6 का अंकन हो रहा के वारिसान से 2/3 भाग को जर्ये रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 29.09.2011 वादीगण द्वारा खरीद किया है जिसमें वादीगण को किशोरी के कब्जा संभलवाया जाने का अंकन भी है एवं बयनामा दिनांक 26.11.2010 द्वारा आराजी के 1/3 भाग को वादीगण द्वारा नंदकिशोर पुत्र पल्टू से क्रय किये जाने एवं कब्जा संभालने का अंकन है। वाद के संदर्भ में तहसीलदार से हाल कब्जा काश्त मौका रिपोर्ट में भी वादीगण की कब्जा काश्त का अंकन है जिससे विवादित आराजी पर वादीगण की कब्जा काश्त तो बाखूबी साबित होती है उपरोक्त विवेचन एवं तहसीलदार से प्राप्त मौका रिपोर्ट, वादीगण द्वारा पेश रजि0बयनामा के

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़बास (खैरथल–तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner

आधार पर विवादित आराजी पर जो अंकन बकाश्त किशोरी पुत्र पल्टू ब्रा0सा0देह शिकमी साल 6 का अंकन हो रहा उसे हजफ किया जाना उचित एवं न्यायसंगत प्रतीत होता है।

अतः आदेश है कि:-

वाद वादीगण बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी डिक्री किया जाता है कि विवादित आराजी ख0नं0 768 रकबा 0.6100है0 वाके ग्राम बृसंगपुर तहसील किशनगढबास पर वादीगण को कब्जा काश्त खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा विवादित आराजी पर जो गलत इन्द्राज बकाश्त किशोरी पुत्र पल्टु ब्रा0सा0देह शिकमी साल 6 हो रहा है उसे हजफ किये जाने के आदेश दिये जाते है तदनानुसार ही राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती हो। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल लेख भण्डार हो। सुनाया गया।

(मनीष कुमार जाटव)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़बास (खैरथल-तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़बास जिला (खैरथल–तिजारा)
अध्याशितः– श्री मनीष कुमार जाटव आर0ए0एस

दावा सं0	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
164/21	29.11.2021	10-3-25

उनवान

1. कासम पुत्र रहमान
2. सहीद पुत्र रहमान जाति मेव निवासी बाघोडा तहसील किशनगढबास जिला अलवर।

:–वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लैण्ड होल्डर, किशनगढबास जिला अलवर राज0।

:–प्रतिवादी

दावा इश्तकरारहक, इन्द्राज दुरूस्ती जेर दफा 88,89 राज0काश्त0अधि0 1955

उपस्थितिः– वादीगण की ओर से श्री किशोरीलाल जी वकील।
प्रतिवादी की ओर से मौका रिपोर्ट।

पर्चा डिक्री

वाद वादीगण बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी डिक्री किया जाता है कि विवादित आराजी ख0नं0 768 रकबा 0.6100हे0 वाके ग्राम बृसंगपुर तहसील किशनगढबास पर वादीगण को कब्जा काश्त खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा विवादित आराजी पर जो गलत इन्द्राज बकाश्त किशोरी पुत्र पल्टु ब्रा0सा0देह शिकमी साल 6 हो रहा है उसे हजफ किये जाने के आदेश दिये जाते है तदनानुसार ही राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल लेख भण्डार हो। सुनाया गया।

(मनीष कुमार जाटव)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़बास (खैरथल–तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner